कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज.)

क्रमांक :– 22 दिनांक :– 25-4-25

–: संशोधित कार्यालय आदेश :–

(रिमाण्ड डयूटी दिनांक 26.04.2025 व 27.04.2025)

इस कार्यालय के आदेश कमांक रीडर/2025/15 दिनांक 25.03.2025 के द्वारा माह अप्रेल 2025 के लिये धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जमानत, रिमाण्ड डयूटी धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत संस्वीकृतियो और कथनो को अभिलिखत करना, मृत्यु कालिक कथन लेखबद्ध करना एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यो) से संबधित मामलों की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारियों की डयूटी लगाई गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी की डयूटी लगाई जाती है। शेष आदेश यथावत् रहेगा :–

क्र.सं.	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम व मो. नं.	पद
1	26.04.2025 व 27.04.2025	श्री आकाश शर्मा मो.नं. 7339772830	न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेडा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर

क्रमांकः रीडर/2025/368 दिनांक :– 25-4-25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
2. श्रीमान् पीठासीन अधिकारीगण, समस्त न्यायालय, धौलपुर–न्यायक्षेत्र।
3. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर।
4. श्री आकाश शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा।
5. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर।
6. अधीक्षक जिला कारागृह, धौलपुर।
7. इन्चार्ज, पुलिस कन्ट्रोल रूम, धौलपुर।
8. सर्वर रूम जिला न्यायालय धौलपुर को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर